

55

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10-ब ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2008—पौष 26, शक 1929

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2008

अधिसूचना

क्रमांक 21/एफ-2(2)/48/सं. का./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :

1. नियम 3 के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :-

“ परन्तु किसी भूतपूर्व सदस्य द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-क(2) के अधीन रेल या वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, एक विनीय वर्ष में रुपये 60,000.00 (रुपये साठ हजार) से अधिक नहीं होगी.”

2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2008

क्रमांक 22/एफ-2 (2)/48/सं. का./07. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (पेनशन) निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 16th January 2008

#### NOTIFICATION

No. 22/F-2 (2)/48/P.A./07. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 348 of the Constitution of India, the Government of Chhattisgarh hereby make the following further amendments in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members (Free Transit by Railway) Rules, 1996, namely :-

#### AMENDMENT

In the said rules :-

1. For the proviso of rule 3, the following proviso shall be substituted, namely :-

“ Provided that the total expenditure on journeys performed by an ex-member by rail or air under section 5-A (2) in the said act shall not exceed the amount of Rs. 60,000.00 ( Rs. Sixty Thousand ) in a financial year.”

2. With effect from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Secretary.